जिला– खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

ST No. 134 of 2025
Parbatta PS Case No. 260 of 2022
CIS No. 134 of 2025)

राज्य (द्वारा विशेखा देवी)

....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. जयजयराम यादव,
   पिता–स्व0 अनधुन यादव
2. संजय यादव उर्फ संजय कुमार,
   पिता–जयजयराम यादव
3. लालू यादव उर्फ लालू कुमार
   पिता–जयजयराम यादव
   साकिन–सलारपुर, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण

आरोपित धाराएँ 341/34, 323/34, 307/34, 354A/34, 504/34, 506/34 IPC

अभियोजन की ओर से – श्रीमती रंजना कुमारी
विद्वान अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री राजकिशोर सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार–।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 18वीं अप्रैल 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त जयजयराम यादव, संजय यादव उर्फ संजय कुमार, लालू यादव उर्फ लालू कुमार के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 307/34, 354A/34, 504/34, 506/34 IPC के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक विशेखा देवी के लिखित

आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसने कथन किया है कि दिनांक 06.06.2022 को संध्या करीब छः बजे मैं अपने दरबाजे पर गाय को खिला रही थी इसी समय जयजयराम यादव, गीता देवी, संजय यादव, लालू यादव, धीरज यादव आया सभी व्यक्ति कहने लगा कि यहाँ से लाद गाय खूँटा को हटा लो मै सरपंच एवं ग्रामीणों के द्वारा किया गया पंचायत को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा कि पंचो द्वारा मुझे जो हिस्सा में दिया गया हैं। मैं उसी जमीन पर हूँ। इतना कहते ही सारे लोग मेरे साथ मारपीट करने लगा स्थिति की भयावता को देखकर जान बचाने कि नियत से उस जगह से मैं भागकर आंगन की तरफ दौड़ी इसी समय जयजयराम यादव ने कहा कि देखते क्या हो पकड़ो हरामजादी को जान से मारकर फेक दो इतना सुनते ही संजय यादव, लालू यादव एवं धीरज यादव दौड़कर तीनो पकड़ लिया मेरे साथ मारपीट गाली गलोज करने लगा इसी बीच धीरज यादव ने मेरे दोनो कानो से सोने कि बाली जो कि अठन्नी भर का था खींच लिया इसके बाद गीता देवी आयी और बगल में रखे बाँस का लगभग चार फीट कर टुकड़ा उठाकर मेरे उपर ताबर तोड़ हमला करने लगी इसी कम में गीता देवी ने बाँस के टुकड़े से मेरे सर पर प्रहार किया और मेरा सर फट गया मैं खुन से लतपत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई घर में रखे पच्चीस हजार रूपया भी ले लिया इससे पहले भी उपरोक्त सारे व्यक्ति कई बार मेरे साथ मारपीट कर चुका हैं। इस तरह मेरे एवं मेरे परिवार का जीवन खतरे से एक क्षण भी खाली नही हैं। मुझे आशंका हैं। कि उपरोक्त सारे व्यक्ति किसी भी क्षण मेरे एवं मेरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना कर व करवा सकता हैं।

3. सूचक के द्वारा दिये गये लिखित के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। इस वाद में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद का दौरा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ से यह अभिलेख स्थानान्तरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त व य

5. अभिलेख अवलोकन से अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, वे हैं–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 डॉ0 राजीव रंजन
अभियोजन साक्षी संख्या 02 गोपाल यादव,
अभियोजन साक्षी संख्या 03 भूखन यादव,
अभियोजन साक्षी संख्या 04 विशेखा देवी, सूचिका
अभियोजन साक्षी संख्या 05 निर्मला देवी उर्फ प्रमिला देवी,
अभियोजन साक्षी संख्या 06 कमल रजक,

इनमें से अभियोजन साक्षी संख्या 02, 03 एवं 06 को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अभियोजन की ओर से जख्म पत्र पर अभियोजन साक्षी संख्या 01 के हस्ताक्षर को प्रदर्श–**P1/PW-01** के रूप में अंकित कराया गया है।

सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 04 विशेखा देवी जो कि इस वाद की सूचिका हैं, के साक्ष्य की विवेचना करते हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 04 विशेखा देवी ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि घटना तीन वर्ष पूर्व का है। समय शाम का 06.00 बजे की घटना थी। मैं उस समय अपने घर पर ही थी। जमीन का विवाद था। बोला कि जमीन पर से गाय का खूँटा हटा लो। खुँटा हटा लिये थे। भईयारी का झगड़ा था। संजय यादव, लालो यादव से ये लोग गल्लम गाड़ी दिया था। बाँ से माथा पर मारा था। सिर पर मारा था। जिससे सिर फट गया था। झगड़ा में कान का बाली गिर गया था, कौन लिया नहीं देखे। इससे पर भी धमकी दिया था, गाली–गलौज किया। धीरज और लालो कान का बाली छीन लिया था। नाद

और खूँटा नहीं हटाये थे, इसी का मारपीट हुआ था। साक्षी ने मुख्य बयान में घटना का समर्थन किया। किन्तु इस साक्षी ने मुख्य बयान में ही कंडिका 1 में कहा है कि झगड़ा में कान का बाली गिर गया था, कौन लिया नहीं देखे। परन्तु कंडिका 2 में कहा है कि धीरज और लालो कान का बाली छीन लिया था। इस प्रकार इस साक्षी का यह कथन विरोधाभासी हो जाता है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि घर में बाँस था, जिस पर गिरने से चोट लगा गया और खून बहने लगा। कौन गाली–गलौज किया, नहीं बता सकते हैं, उस समय मुझे होश नहीं था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी के प्रति परीक्षण में दिये गये बयान और मुख्य परीक्षण में दिये गये बयान में काफी विरोधाभास है एवं संगतता का अभाव है। ऐसे में साक्षी के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 जो कि इस वाद के सूचक हैं का ही बयान विरोधाभासी हो जाने के कारण अन्य किसी भी साक्षी के बयानों की विवेचना करने का औचित्य नहीं है। क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या 05 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है और उन्होंने स्वयं मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जब मारपीट हुआ था तो मैं नहीं थी। अभियोजन साक्षी संख्या 01 चिकित्सक साक्षी हैं, जिन्होंने जख्म का साधारण प्रकृति का बताया है, किन्तु सूचक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 04 ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह बाँस पर गिरने से चोट लगी थी। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

संजय कुमार
DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त जयजयराम यादव, संजय यादव उर्फ संजय कुमार, लालू यादव उर्फ लालू कुमार के विरूद्ध गठित धारा 341/34, 323/34,

307/34, 354A/34, 504/34, 506/34 IPC के आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त जयजयराम यादव, संजय यादव उर्फ संजय कुमार, लालू यादव उर्फ लालू कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

संजय कुमार 18.4.26

(संजय कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
18.04.2026

संजय कुमार 18.4.26

(संजय कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
18.04.2026

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★